न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नाथूसिंह राठौड़ आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 62 / 2017 / जैसलमेर

अपीलांट		रेस्पोडेंटगण
राजस्थान सराकर जरिये श्रीमान तहसीलदार फतेहगढ़।	**बनाम**	1.मु. जतनोदेवी पत्नी ओंकारराम 2.रायसिंगराम पुत्र ओंकारराम जातियान सुथार निवासीयान मूलाना तहसील फतेहगढ जिला जैसलमेर।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर फतेहगढ के राजस्व वाद संख्या 46 / 2011 बनवान मु. जतनो वगै. बनाम राज्य सरकार में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18.02.2015 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थित

1. वकील श्री हाजी खां राजकीय अभिभाषक अपीलान्ट की ओर से
2. वकील श्री अब्दुल रहमान मेहर रेस्पोडेण्ट की ओर से

निर्णय

दिनांकः— 03.01.2020

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेंट का वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अपीलाधीन निर्णय द्वारा रेस्पोडेंट के हक में ग्राम मूलाना के खसरा संख्या 792 रकबा 108.11 बीघा में से 20.06 बीघा भूमि का रेस्पोडेंट को खातेदार घोषित कर इस आशय की घोषणात्मक अज्ञाप्ति जारी की गई है। जबकि यह भूमि सरकारी है। जो सेटलमेंट में भी सरकारी दर्ज है। अधीनस्थ न्यायालय ने डिक्री जारी करने में कानूनी भूल की है। सेटलमेंट विभाग द्वारा मौके पर जरीब चलाकर कब्जा काश्त के आधार पर सर्वे करते हुए अभिलेख को अंतिम रूप दिया है। इससे पहले आपतियां प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर दिया गया किन्तु सेटलमेंट विभाग के समक्ष रेस्पोडेंट द्वारा कोई आपति पेश नही की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादग्रस्त बताई गई भूमि सरकारी भूमि है एवं भू–प्रबंध विभाग में उक्त भूमि सरकारी दर्ज है जिसमें रेस्पोडेंट का कोई कब्जा नहीं है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन निर्णय डिक्री दिनांक 18.02.2015 को अपास्त किया जावे।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

राजकीय अधिवक्ता ने बहस करते हुए बताया कि समरी अंदाजिया थी। मौके पर जितनी भूमि पर रेस्पोडेंट का कब्जा था उतनी भूमि की खातेदारी रेस्पोडेंट को दी गई तथा शेष भूमि को सरकारी भूमि दर्ज कर दिया गया। सेटलमेंट विभाग द्वारा सर्वे करने के पश्चात अभिलेख को अंतिम रूप दिया गया। अभिलेख को अंतिम रूप

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

देने से पूर्व आपतियां प्रस्तुत करने का पर्याप्त समय दिया गया किन्तु रेस्पोडेंट द्वारा कोई आपति प्रस्तुत नही की गई। इसलिए अब रेस्पोडेंट का इस भूमि पर कोई अधिकार नही है। भू–प्रबंध विभाग द्वारा जारी प्रक्रिया विधि के अनुरूप अपनाने के पश्चात भूमि को सरकारी घोषित किया है। ऐसी स्थिति में रेस्पोडेंट/वादीगण अतिक्रमी है एवं अतिक्रमी को राजकीय भूमि पर कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। समरी खसरा संख्या से वर्तमान खसरा संख्या बने हो ऐसा भी प्रमाणित नहीं है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने बहस करते हुए बताया कि रेस्पोडेंट की पुश्तैनी कृषि भूमि ग्राम कराड़ा में समरी खसरा संख्या 90 रकबा 86.05 बीघा, समरी खसरा संख्या 91 रकबा 57.10 बीघा कुल रकबा 143.15 बीघा पर वादीगण के पूर्वजों के समय का कब्जा काश्त है। वक्त फाइनल सेटलमेंट अधिकारियों ने रिकॉर्ड में रेस्पोडेंट/वादीगण के पूर्वजों के नाम चली आ रही भूमि वर्तमान **792 में रकबा 20.06 बीघा भूमि** को बिना किसी ठोस आधार के रेस्पोडेंट के पूर्वजों की समरी के मालिकाना हक की भूमि बिना कोई जांच किये पड़त सरकार (सिवायचक) में दर्ज कर दिया जो गलत था। अपीलाधीन आराजी पर वादीगण/रेस्पोडेंट की वक्त समरी स्थायी बंदोबस्त से लगातार कब्जा काश्त होने से वादी/रेस्पोडेंट के पूर्वजों की खातेदारी दर्ज थी। भू–प्रबंध कर्मचारियों द्वारा खातेदारी में दर्ज नहीं कर राजकीय सिवायचक दर्ज कर दिया ऐसा करने का सेटलमेंट अधिकारियों को, खातेदार को सुनवाई का अवसर दिये बिना, राजकीय भूमि घोषित करने का अधिकार नहीं था। अपीलाधीन आराजी बिना किसी आधार के सरकारी भूमि दर्ज कर दी गई जिसका भू–प्रबंध विभाग को कोई अधिकार नहीं था। अमीनों को केवल मात्र दर्ज इन्द्राजो को दौहराने का अधिकार था। सक्षम अधिकारी के आदेश के बिना उसमें कांट–छांट या कमी करने का अधिकार नही था। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत रखा जावे।

सर्वप्रथम धारा 5 म्याद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र पर निर्णय करना उचित होगा। राजकीय अधिवक्ता ने बताया कि निर्णय की जानकारी देरी से होने व निर्णय डिक्री अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त कर इसका परीक्षण करवाने व जिला कलक्टर जैसलमेर से अपील के निर्देश प्राप्त करने में समय लगने एवं प्रार्थी का अन्य प्रशासनिक कार्यों में वयस्त होने से अपील दायर करने में हुई देरी को माफ कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलांट की अपील मियाद बाहर पेश है एवं अपील पेश करने में हुए

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

विलंब का कोई संतोषजनक कारण भी नहीं बताया। अतः अपीलांट की अपील मियाद के बिंदु पर खारिज फरमाई जावे।

प्रार्थी के कथनों पर विश्वास एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड के अवलोकन के पश्चात अपील अन्दर मियाद शुमार करना उचित है। अतः अपीलांट की अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया व उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने के पश्चात न्यायालय ने पाया है कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी/रेस्पोडेंट द्वारा प्रस्तुत अभिलेखीय साक्ष्य EXP-5 तुलनात्मक रजिस्टर ग्राम मूलाना जिसमें वादीगण के नाम दर्ज खसरा संख्या 90, 91 कुल रकबा 143.15 बीघा दर्ज था जो स्थाई सैलमेंट में वादीगण के नाम 123.09 बीघा खातेदारी में दर्ज की गई तथा शेष रकबा 20.06 बीघा की कमी की गई लेकिन कमी का इंद्राज नहीं किया गया। EXP-4 पर्चा खतौनी ग्राम मूलाना जिसमे वादीगण द्वारा समरी खसरा संख्या 90, 91 की किस्त वसूली रकम अदा की गई है जो सहायक सैटलमेंट ऑफीसर से प्रमाणित है। वादीगण की यह भूमि इससे पूर्व भी (प्रदर्श 10) जमाबंदी ग्राम मूलाना संवत 2016 से संवत 2020, (प्रदर्श 11) जमाबंदी ग्राम मूलाना संवत 2021 से संवत 2024, (प्रदर्श 7) जमाबंदी ग्राम मूलाना संवत 2025 से संवत 2028, (प्रदर्श 6) जमाबंदी ग्राम मूलाना संवत 2029 से संवत 2032 में लगातार समरी खसरा संख्या 90, 91 में कुल रकबा 143.15 बीघा ओंकरराम पुत्र चुन्नीलाल कौम सुथार साकिन दैह खातेदार दर्ज रहा है। प्रदर्श 6 से प्रदर्श 14 नकल गिरदावरी ग्राम मूलाना से वादग्रस्त आराजी पर रेस्पोडेंटगण का लगातार कब्जा काश्त साबित है। संवत 2069 भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के नोटिस जिसमें वादी रासीगराम पुत्र ओंकरराम व जतनों पत्नी ओंकरराम का खसरा संख्या 792 व 804 में रकबा 10 व 10 बीघा कुल रकबा 20 बीघा पर अतिचार दर्ज किया गया तथा संवत 2070 भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के नोटिस जिसमें वादी रासीगराम पुत्र ओंकरराम व जतनों पत्नी ओंकरराम का खसरा संख्या 792 व 804 में रकबा 10 व 10 बीघा कुल रकबा 20 बीघा पर अतिचार दर्ज किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दो तनकीयात कायम की गई जिसमें से प्रतिवादी द्वारा एक भी तनकी को अपने पक्ष में साबित करने का कोई आधार एवं साक्ष्य पेश नहीं करने से उसके विरूद्ध निर्णित की गई। प्रतिवादी द्वारा पत्रावली पर ऐसा कोई दस्तावेजात या साक्ष्य पेश नहीं किया गया है जिसमें यह साबित होता हो कि वादीगण/रेस्पोडेंट का वादग्रस्त आराजी पर कब्जा काश्त नहीं रहा है। सेटलमेंट अधिकारियों को बिना

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

किसी कारण या सक्षम अधिकारी द्वारा पारित निर्णय के अभाव में समरी सेटलमेंट की प्रविष्टि को हूबहू दोहराना चाहिए था। वादी के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत मौखिक साक्ष्य रूप में बयान शपथ–पत्र एवं वादीगण के गवाह बाबूराम पुत्र रूपाराम ने अपने शपथ पूर्वक कथन करता हू बताया कि वादग्रस्त आराजी पर रेस्पोडेंटगण का समरी सेटलमेंट से लेकर आज दिन तक कब्जा काश्त है तथा मौके पर रहवासिय ढाणी, पशुओं का बाड़ा, पानी का टांका बना हुआ है। तथा अन्य गवाहन के बयान वाद–पत्र के समर्थन में है। प्रतिवादी सरकारी पक्ष के गवाह अर्जुनसिंह पटवारी मूलाना ने अपने बयान में दिनांक 30.10.2012 को यह स्वीकार किया गया है कि विवादित आराजी पर वादीगण के नाम 10 बीघा गवार की फसल संवत 2068 व 2069 में टी पी दर्ज है। खसरा संख्या 722 खातेदारी भूमि जतनोदेवी के नाम से उतर दिशा में विवादित आराजी आई हुई है। जिसका खसरा संख्या 792 है जिस पर वादीगण के नाम अतिक्रमण दर्ज है तथा अवैध कब्जा है। इससे साबित है कि वादीगण का उक्त खसरा में बतौर अतिक्रमी समय–समय पर काश्त की जाती रही है। सेटलमेंट अधिकारियों ने बिना किसी आधार और बिना कारण वादीगण के पिता/पति की खातेदारी भूमि काटकर राजकीय सिवायचक दर्ज करने में भूल की है। ऐसा करने के लिए वे अधिकृत भी नहीं है। सैटलमेंट द्वारा गलत रूप से बिना किसी आधार के बिना कोई सक्षम न्यायालय के आदेश के उसको मनमाने तरीके से कमी की गई हैं। भू प्रबंध विभाग को वादीगण की वादग्रस्त आराजी भूमि को कम दर्ज करने का व उसे खातेदारी में कमी कर सिवायचक दर्ज करने का कोई प्राधिकार नहीं रहा है। अधीनस्थ न्यायालय में भी रिकॉर्ड पर उपलब्ध अभिलेखीय एवं मौखिक साक्ष्य का विवेचन कर जो अपीलाधीन निर्णय दिया है वह उचित है। उसमें किसी भी प्रकार के दखल की आवश्यकता नहीं है।

अतः अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर फतेहगढ के राजस्व वाद संख्या 46/2011 बनवान मु. जतनो वगै. बनाम राज्य सरकार में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18.02.2015 को यथावत रखा जाता है।

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

03/1/20

(नाथूसिंह राठौड़)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर केम्प जैसलमेर

निर्णय आज दिनांक 03.01.2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

03/1/20

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर केम्प जैसलमेर

Scanned by CamScanner